न्यायमूर्ति *राजबीर सेहरावत* के समक्ष

बृजेश कुमार - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - *उत्तर*वादी

2021 का सी.डब्ल्यू.पी नंबर 5724

03 अगस्त, 2021

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 और 227- शस्त्र अधिनियम, 1959 - धारा 17 और 17 (5) - शस्त्र लाइसेंस रद्द करना - लाइसेंस के नवीकरण से इनकार करना - माना जाता है, केवल एफ.आई.आर. दर्ज करने का जांच के अलावा कोई कानूनी महत्व नहीं है - अदालत दोषसिद्धि से पहले लाइसेंस के निरसन के निलंबन का आदेश नहीं दे सकती है, भले ही अपराध शस्त्र अधिनियम के तहत हों - इसके अलावा, यदि अपील पर, दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, निरसन या निलंबन का आदेश शून्य हो जाता है - सक्षम प्राधिकारी ने कोई वास्तविक कारण नहीं दिया है कि हथियार लाइसेंस और हथियार रखने से सार्वजनिक शांति और सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई - याचिका की अनुमति दी गई।

निर्धारित किया गया कि, हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि वह तीन मामलों में शामिल था। हालांकि, केवल एफ.आई.आर. दर्ज करने से उस एफ.आई.आर. में शामिल अपराध की जांच के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोई कानूनी महत्व नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता है जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, जब तक कि किसी कानून या आपराधिक अदालत द्वारा विशेष रूप से आवश्यक न हो।

(पैरा 8)

आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि प्राधिकरण ने बिना किसी वास्तविक कारण को दर्ज किए पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से काम किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा हथियार लाइसेंस और हथियार रखने से सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई थी। धारा 17 (5) सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस रद्द करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने का वैधानिक कर्तव्य सौंपती है। आदेश में उल्लिखित कारणों को निगमनात्मक तर्क की कसौटी पर खरा उतरना होगा और तथ्यात्मक आधार को शांति भंग करने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के निष्कर्ष से जोड़ना होगा।

(पैरा 11)

संजय वरिष्ठ अधिवक्ता, *याचिकाकर्ता की ओर से*
हरीश राठी प्रतिवादी डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा

कमल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी नंबर 04 की ओर से ।

राजबीर सहरावत, जे (मौखिक)

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर एक याचिका है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित 13.02.2019 (अनुबंध पी 13) के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की गई है, जिसके तहत शस्त्र लाइसेंस संख्या 44-एफबीडी-अगस्त-2009 और नवीकरण संख्या 519-आर/जेसीपी-एफबीडी/2012 (अनुबंध पी-1) को रद्द कर दिया गया है।

(2) जैसा कि याचिका में कहा गया है और जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पास हथियार लाइसेंस संख्या 44-एफबीडी-अगस्त-2009 है और इसकी नवीकरण संख्या 519-आर/जेसीपीएफबीडी/2012 है। याचिकाकर्ता के लाइसेंस का समय-समय पर नवीनीकरण किया गया। याचिकाकर्ता के लाइसेंस का अंतिम नवीनीकरण 10.08.2021 तक है। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा अब याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और रिट याचिका में भी इतना अनुरोध किया गया है कि याचिकाकर्ता पर तीन मामलों में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। मामले, मूल रूप से, संपत्ति विवादों से संबंधित थे। इस संबंध में पहली प्राथमिकी दिनांक 11.10.2015 को आई-पीसी- की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी आई.पी.सी और प्रीवेन्शन ऑफ करप्शन ऐक्ट अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. नंबर 563 पुलिस स्टेशन सेंट्रल फरीदाबाद मे दर्ज की गई थी। फरीदाबाद। 16.07.2018 को आई.पी.सी की धारा 147, 149, 186, 225, 323, 332, 353 और 511 के तहत एक और एफ.आई.आर. नंबर 727 दर्ज की गई थी। उसके बाद; 24.01.2019 को आई.पी.सी की धारा 406, 420, 467, 468, 471, 506 और 120-बी के तहत एक और एफ.आई.आर. नंबर 51 दर्ज की गई थी। 24.01.2019 को अंतिम एफ.आई.आर. नंबर 51 प्रतिवादी नंबर 4 के कहने पर दर्ज की गई थी, जिसके साथ याचिकाकर्ता का विशिष्ट संपत्ति विवाद है। हालांकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होने से पहले ही, प्रतिवादी नंबर 4 ने पुलिस को एक शिकायत की थी, जिसमें दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता उसके खिलाफ अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता का हथियार लाइसेंस रद्द किया जाए। इस तरह की शिकायत पर सक्षम प्राधिकारी ने स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले दर्ज होने की सूचना दी। इसके बाद, याचिकाकर्ता को उसके हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त नोटिस का जवाब दाखिल किया और अधिकारियों के समक्ष समझाया कि मामलों में शामिल मामले, मूल रूप से, संपत्ति विवाद थे। यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी घटना में याचिकाकर्ता के हथियार का इस्तेमाल शामिल नहीं था। इसलिए, यह प्रस्तुत करते हुए कि शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का कोई आधार नहीं था, यह प्रार्थना की गई थी कि कारण बताओ नोटिस दायर किया जाए और याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द न किया जाए। हालांकि, प्राधिकरण ने पूरी तरह से निर्दोष आदेश पारित किया और

याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने वैधानिक अपील को प्राथमिकता दी। हालांकि, प्राधिकरण द्वारा उक्त अपील को भी खारिज कर दिया गया है।

(3) मामले पर बहस करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.10.2015 की एफ.आई.आर. संख्या 563 में, केवल एक संपत्ति विवाद शामिल है। याचिकाकर्ता उस मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत पर है। याचिकाकर्ता के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त एफ.आई.आर. में शामिल घटना में कभी किसी हथियार का इस्तेमाल किया। जहां तक दिनांक 16.07.2018 की एफ.आई.आर. संख्या 727 का संबंध है, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह बताया गया है कि जांच के दौरान, पुलिस ने खुद याचिकाकर्ता को निर्दोष पाया है और इस संबंध में मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट पहले ही दायर की जा चुकी है, जिसमें यह शर्त शामिल है कि याचिकाकर्ता को उस मामले में निर्दोष पाया गया है। जहां तक 24.01.2019 की अंतिम एफ.आई.आर. नंबर 51 का संबंध है, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि यह एफ.आई.आर. भी पूरी तरह से प्रतिवादी नंबर 4 के साथ संपत्ति विवाद थी। एफ.आई.आर. सिर्फ कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और याचिकाकर्ता पर अनावश्यक दबाव डालने के लिए दर्ज की गई थी। हालांकि, उस मामले में भी याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। आखिरकार, प्रतिवादी नंबर 4 ने याचिकाकर्ता के साथ समझौता किया। नतीजतन, इस अदालत द्वारा दिनांक 18.11.2019 के आदेश के तहत एफ.आई.आर. को भी रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रतिवादी नंबर 4, जिसकी शिकायत के कारण याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई थी, ने याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए अपनी शिकायत वापस लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को हलफनामा प्रस्तुत किया था। हालांकि, अधिकारियों ने निराधार शिकायत के साथ आगे बढ़े हैं और याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द कर दिया है। वकील ने आगे कहा है कि केवल एफ.आई.आर. दर्ज करना शस्त्र अधिनियम (संक्षेप में, अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हथियार लाइसेंस रद्द करने का आधार भी नहीं है। वकील ने ***बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य,***[1] ओर ***साधु सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** [2] जो की इस अदालत द्वारा पास किए गए ओर ***दो फैसलों और*** **जो** ***इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित*** किए गए, **अवधेश कुमार पांडे** ***बनाम आयुक्त, लखनऊ डिवीजन लखनऊ और एक अन्य*** [3] *और* ***सतीश सिंह बनाम जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर और अन्य,*** [4] ***प्रस्तुत*** किए।

[1] 2019 (4) R.C.R. (Crl.) 960
[2] 2018 (4) R.C.R. (Crl.) 567
[3] 2011 (3) R.C.R. (Crl) 458
[4] 2009 (18) R.C.R. (Civil.)859

वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि किसी भी प्राथमिकी में हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप भी नहीं था, इसलिए अधिकारियों के पास इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं था कि याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करना सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक था। इसलिए, आदेश बिना सोचे समझे पारित किए गए हैं। अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करके पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से काम किया है; सिर्फ इस तथ्य पर कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ एफ.आई.आर. दर्ज की गई थीं।

(4) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा सहायता प्राप्त राज्य के वकील ने प्रतिवादियों द्वारा दायर दलीलों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विशिष्ट शिकायतें थीं। याचिकाकर्ता उस समय कम से कम दो एफ.आई.आर. का सामना कर रहा था, जब उसे उसके हथियार लाइसेंस को रद्द करने का नोटिस दिया गया था। यहां तक कि तीसरी एफ.आई.आर. प्रतिवादी नंबर 4 के कहने पर अस्तित्व में आई थी, जिसने पहले याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करने के लिए प्रार्थना की थी। चूंकि याचिकाकर्ता तीन आपराधिक मामलों में शामिल था, इसलिए, याचिकाकर्ता को ऐसा सामाजिक चरित्र प्रदान किया गया है, जिस पर अब उचित रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा को बाधित नहीं कर रहा है, अगर उसके पास हथियार और गोला-बारूद बचा है। प्राधिकारियों ने सही आदेश पारित किया है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर वैधानिक अपील को भी खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह तथ्यों के निष्कर्षों और प्राधिकारियों द्वारा वैधानिक पदाधिकारियों के रूप में लिए गए स्वतंत्र निर्णयों के विरुद्ध अपील की अदालत के रूप में कार्य करे। इसलिए, इस अदालत को आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रिट याचिका खारिज किए जाने के लायक है।

(5) पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, इस अदालत को याचिकाकर्ता के वकील की दलील में दम नजर आता है। प्रतिवादी-प्राधिकारी शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने, निलंबित करने और रद्द करने से शस्त्र अधिनियम की धारा 17 में निहित विशिष्ट वैधानिक प्रावधानों द्वारा निपटा जाता है। अधिनियम के संगत प्रावधान निम्नानुसार हैं:

"17. लाइसेंसों में भिन्नता, निलंबन और निरसन

(1) लाइसेंसिंग प्राधिकारी उन शर्तों को अलग-अलग कर सकता है जिनके अधीन लाइसेंस प्रदान किया गया है, सिवाय उन शर्तों के जो निर्धारित किए गए हैं और उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो सकते हैं: लाइसेंसधारक को लिखित रूप में नोटिस द्वारा नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर लाइसेंस प्रदान करने के लिए कहा गया है।

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस धारक के आवेदन पर, लाइसेंस की शर्तों को भी बदल सकता है, सिवाय उनके जो निर्धारित किए गए हैं।

(3) लाइसेंसिंग प्राधिकारी लिखित रूप में आदेश द्वारा लाइसेंस को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है जो उसे उचित लगता है या लाइसेंस रद्द कर सकता है-

A. यदि लाइसेंसप्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस धारक इस अधिनियम द्वारा या इस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा किसी भी *हथियार या गोला-बारूद को प्राप्त करने, रखने या ले जाने से प्रतिबंधित है, या अस्वस्थ दिमाग का है, या किसी भी कारण से इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए अयोग्य है; या*

B. यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी सार्वजनिक शांति की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना आवश्यक समझता है; *या*

C. यदि लाइसेंस भौतिक जानकारी के दमन या लाइसेंस धारक या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई गलत जानकारी के आधार पर इसके लिए आवेदन करते समय प्राप्त किया गया था; *या*

D. यदि लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया है; *या*

E. यदि लाइसेंस धारक उप-धारा (1) के तहत एक नोटिस का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें उसे लाइसेंस देने की आवश्यकता होती है।

(4) लाइसेंसिंग प्राधिकारी धारक के आवेदन पर लाइसेंस रद्द भी कर सकता है।

(5) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकरण उपधारा (1) के तहत लाइसेंस को बदलने का आदेश देता है या उप-धारा (3) के तहत लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने का आदेश देता है, तो वह इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और लाइसेंस धारक को मांगने पर उसी का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा जब तक कि किसी भी मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकरण की राय न हो कि ऐसा विवरण प्रस्तुत करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(6) वह प्राधिकारी जिसके अधीन लाइसेंसप्राधिकारी है, लिखित रूप में आदेश द्वारा किसी भी आधार पर लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है, जिस पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इसे निलंबित या निरस्त किया जा सकता है; और इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस के निलंबन या निरसन के संबंध में लागू होंगे।

(7) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लाइसेंस धारक को दोषी ठहराने वाली अदालत भी लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकती है: बशर्ते कि यदि अपील पर या अन्यथा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, तो निलंबन या निरसन शून्य हो जाएगा।

(8) उपधारा (7) के तहत निलंबन या निरसन का आदेश अपीलीय अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय भी किया जा सकता है।

(9) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में आदेश द्वारा, पूरे भारत में या उसके किसी भी हिस्से में इस अधिनियम के तहत दिए गए सभी या किन्हीं लाइसेंसों को निलंबित या रद्द करने के लिए किसी भी लाइसेंसप्राधिकारी को निर्देश दे सकती है।

(10) इस धारा के तहत लाइसेंस के निलंबन या निरसन पर, धारक बिना किसी देरी के लाइसेंस को उस प्राधिकारी को सौंप देगा जिसके द्वारा इसे निलंबित या रद्द किया गया है या ऐसे अन्य प्राधिकरण को जो निलंबन या निरसन के आदेश में इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वैधानिक प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे शस्त्र लाइसेंस रद्द करने या निलंबित करने की कार्रवाई करने के लिए अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का पालन करें।

(6) अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों के अवलोकन से पता चलता है कि लाइसेंसधारक का लाइसेंस, *अन्य बातों के साथ-साथ*, लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए रद्द किया जा सकता है अथवा यदि यह पाया जाता है कि उसने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करते समय किसी सामग्री को दबा दिया है। इनमें से कोई भी स्थिति वर्तमान मामले में शामिल नहीं है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 17 उपधारा 3 (ए) और (बी) के तहत लाइसेंस रद्द करने का सहारा लिया जा सकता है। इन प्रावधानों में शस्त्र लाइसेंस के निलंबन या निरसन का प्रावधान है यदि लाइसेंस धारक को किसी कानून द्वारा हथियार रखने से प्रतिबंधित किया जाता है या वह अस्वस्थ दिमाग का हो जाता है या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाता है। तथापि, अधिनियम की उपर्युक्त धारा 17(3) के खंड (ख) में अधिक विवेकाधीन प्रावधान निहित है, जिसमें यदि प्राधिकारी सुरक्षा या सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है तो शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। राज्य के दावे के अनुसार, पूर्व निर्धारित मामले में अधिनियम की धारा 17 (3) (बी) के प्रावधान को लागू किया गया है।

(7) शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के मूल आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि सक्षम प्राधिकारी को उस समय पुलिस द्वारा सही तथ्य भी प्रदान नहीं किए गए थे, जब याचिकाकर्ता के हथियार लाइसेंस को रद्द करने या नहीं करने के निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता थी। आदेश में ही कहा गया है कि पुलिस की रिपोर्ट इस आशय की थी कि एफ.आई.आर. में उल्लिखित घटना में याचिकाकर्ता का हथियार शामिल था। हालांकि, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज किसी भी एफ.आई.आर. में फायर आर्म के इस्तेमाल का कोई अपराध शामिल नहीं है। 16.07.2018 की एफ.आई.आर. संख्या 727 को छोड़कर, जहां केवल धारा 323 आई.पी.सी शामिल है, इनमें से किसी भी एफ.आई.आर. में किसी भी चोट के बारे में एक धारा भी शामिल नहीं है। हालांकि, रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता को पुलिस द्वारा इस एफ.आई.आर. में निर्दोष घोषित किया गया है; इस आधार पर कि याचिकाकर्ता इस एफ.आई.आर. में शामिल घटना के समय घटनास्थल पर

मौजूद भी नहीं पाया गया था। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी का आदेश पुलिस की गलत रिपोर्ट पर आधारित है।

(8) हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा यह भी विवादित नहीं है कि वह तीन मामलों में शामिल था। हालांकि, केवल एफ.आई.आर. दर्ज करने से उस एफ.आई.आर. में शामिल अपराध की जांच के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए कोई कानूनी महत्व नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश नहीं दिया जा सकता है जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, जब तक कि किसी कानून या आपराधिक अदालत द्वारा विशेष रूप से आवश्यक न हो। केवल एफ.आई.आर. दर्ज करना; अपनी प्रकृति से; कथित अपराध के बारे में केवल एक पहली जानकारी है। इस तथ्य को केवल एक अपराध की पहली जानकारी के रूप में माना जाना चाहिए, जो इसके साथ एक वैधानिक कारक का चरित्र नहीं होगा जो याचिकाकर्ता के हथियार रखने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इस पहलू को अधिनियम की धारा 17(7) के प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट किया जाता है। इस प्रावधान के तहत आपराधिक अदालत, जो एफ.आई.आर. से निपटने के लिए अंतिम प्राधिकारी है, को किसी व्यक्ति के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की शक्ति दी गई है, यदि वह शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध में शामिल है और अदालत द्वारा उसी के लिए दोषी ठहराया गया है। दोषसिद्धि से पहले, यहां तक कि शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों के लिए, यहां तक कि अदालत भी लाइसेंस के निलंबन या निरसन का आदेश नहीं दे सकती है। एक और राइडर भी है; यदि अपील पर दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है तो लाइसेंस के निलंबन या निरसन का आदेश शून्य हो जाएगा। इसलिए; यदि कोई अदालत भी लाइसेंसधारक के खिलाफ केवल प्राथमिकी दर्ज होने पर लाइसेंस रद्द करने का आदेश नहीं दे सकती है, तो किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा केवल एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के कारण लाइसेंस रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए, इस निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य से एफ.आई.आर. दर्ज करना अपने आप में पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जाना है या नहीं। इस प्रकार, यह अदालत ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर याचिकाकर्ता के वकील की निर्भरता को अच्छी तरह से सही मानती है।

(9) यहां तक कि अगर एफ.आई.आर. को शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के इस पहलू के साथ किसी प्रकार की प्रासंगिकता के रूप में लिया जाना है, तो यह केवल इस हद तक होगा कि एफ.आई.आर. में उल्लिखित घटना में वे कारक शामिल हो सकते हैं जो सक्षम प्राधिकारी को यह सोचने के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के उल्लंघन की उचित आशंका है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, न कि केवल एफ.आई.आर. दर्ज करने के तथ्य पर। सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में एक स्वतंत्र निर्णय लेना होगा कि क्या घटना और किसी विशेष एफ.आई.आर. में शामिल तथ्य ऐसी प्रकृति के हैं जो मुख्य रूप से लाइसेंसधारक को सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा में गड़बड़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अन्यथा 'सार्वजनिक शांति' और 'सार्वजनिक सुरक्षा'

शब्द अच्छी तरह से परिभाषित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विनोद दुआ बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 03.06.2021 को तय की गई 2020 की रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 154 के मामले में दोहराया ***है कि सार्वजनिक शांति और*** सार्वजनिक सुरक्षा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक व्यवस्था शब्दों के पर्याय हैं और इसलिए, इसमें केवल उन कृत्यों और आचरण को शामिल किया जाएगा जिनमें दूसरों में हिंसा भड़काने की प्रवृत्ति है। सामान्य रूप से, या समाज के किसी भी वर्ग में। हालांकि, यह केवल सार्वजनिक असुविधा, झुंझलाहट या अशांति से अलग है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसी कार्य या आचरण को सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा मानने के लिए, ऐसा कार्य ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को हिंसा का सहारा लेने के लिए उकसाने या एक अधिवेश वातावरण बनाने का प्रभाव हो, जिससे आबादी के विभिन्न समूह तत्काल टकराव की स्थिति में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकें। दो निर्दिष्ट व्यक्तियों या पक्षों को उनके पारस्परिक विवाद में प्रभावित करने वाले कार्य या आचरण को सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, दो व्यक्तियों के बीच एक विवाद, किसी और आयाम के अभाव में, सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के उल्लंघन की आशंका के अस्तित्व का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जहां तक एफ.आई.आर. में शामिल घटनाओं का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में उल्लिखित किसी भी एफ.आई.आर. में सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित तथ्यों को शामिल नहीं किया गया है। एफ.आई.आर. में दो व्यक्तियों के बीच धोखाधड़ी और जालसाजी आदि से संबंधित अपराध शामिल थे; जिसका हथियार लाइसेंस से कोई लेना-देना नहीं है, या यहां तक कि सामान्य रूप से जनता के साथ भी।

(10) मामले का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया प्रतिवादी नंबर 4 के कहने पर शुरू की गई थी, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने व्यक्तिगत हित में होगा, जो संपत्ति विवाद में शामिल है। हैरानी की बात है कि प्रतिवादी नंबर 4 की निजी शिकायत को याचिकाकर्ता के वैधानिक लाइसेंस को हराने के लिए आधार बनाया गया था। अधिकारियों के इस दृष्टिकोण की निंदा की जा सकती है। किसी भी मामले में; यह रिकॉर्ड में आया है कि प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा दर्ज की गई एफ.आई.आर. अब रद्द कर दी गई है। इसके अलावा, उक्त व्यक्ति ने पहले ही अपना हलफनामा प्रस्तुत कर दिया है कि उसे अब याचिकाकर्ता से कोई खतरा नहीं है और वह अपनी शिकायत वापस लेता है; याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने के लिए पहले किया गया था। इन तथ्यों को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, उस मानक से भी, अधिकारियों के पास याचिकाकर्ता के लाइसेंस को रद्द करने या रद्द करने को जारी रखने का कोई कारण नहीं बचा था।

(11) आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि प्राधिकरण ने बिना किसी वास्तविक कारण के पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से काम किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा हथियार लाइसेंस और हथियार रखने से सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ गई थी। धारा 17 (5) सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस रद्द करने के कारणों को लिखित में दर्ज करने का वैधानिक कर्तव्य सौंपती है। इस तरह दर्ज किए गए कारणों को तार्किक रूप से इंगित करना होगा कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित तथ्य, जैसा कि एफ.आई.आर. में निहित है या अन्यथा, सार्वजनिक शांति भंग करेगा या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल देगा । आदेश में उल्लिखित कारणों को निगमनात्मक तर्क की कसौटी पर खरा उतरना होगा और तथ्यात्मक आधार को शांति भंग करने या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरे के निष्कर्ष से जोड़ना होगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. का उल्लेख करने के अलावा, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में होने के आवश्यक उल्लंघन के परिणाम की तार्किक कटौती के लिए दिमाग का कोई स्वतंत्र अनुप्रयोग नहीं है।

(12) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश संख्या 13 और 18 को संविधि के उपबंधों के अनुरूप न पाते हुए इन्हें निरस्त किया जाता है। रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास,
(अनुवादक)